

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी-श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 78/20 ता0 रजु. 6-1-20 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 18-2-20

सरकार

बनाम

नवल पुत्र-धरन गुजर गुठाकर तह0 बयाना जिला-भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का खरगवली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम खरगवली के खसरा न0 123 रकवा 0.06 हैक्ट में से रकवा 0.06 हैक्ट किस्म भूमि पारागाह पर सम्बत 2076 में श्री नवल पुत्र-धरन गुजर गुठाकर तह0 बयाना ने सरसो कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 123 रकवा 0.06 हैक्ट वाके ग्राम खरगवली से बेदखल किया जाता है। लगान 0.96 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 48/- रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दपतर हो। निर्णय आज दिनांक 18-2-2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली का पति सामना  
वा. के. सं. 04 के पत्र नं. 32  
दिनांक 4/1/20 को वर्ष 2019-20  
देवन्टी क. 48/- रुपये से दण्डित किया जाता है।  
को जा नुहा है।  
वहसीलदार बयाना

तहसीलदार  
बयाना (भरतपुर)

